अतिआवश्यक/तिथिबद्व/ई0मेल

प्रेषक

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

सेवा में

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
हरियाणा राज्य।

यादी क्रमांक 20/1-2012 ET-II(3)
दिनांक पंचकूला 08/06/2017

विषय: विज्ञापन क्रमांक 2/2012 के समक्ष अध्यापक भर्ती बोर्ड तथा कर्मचारी चयन आयोग से वर्ष 2014 व वर्ष 2015 में प्राप्त नवचयनित पी0आर0टी0/जे0बी0टी0 अध्यापकों को संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर कार्यग्रहण करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र क्रमांक 20/1-2012 ET-II(3) दिनांक 27.4.2017 तथा पत्र दिनांक 28.04.2017 की निरंतरता में ।

इस निदेशालय द्वारा अध्यापक भर्ती बोर्ड को विज्ञापन क्रमांक 02/2012 के समक्ष कैटगरी नं0–1 व 2 के तहत वर्ष 2012 में 9870 पदों की मांग भेजी गई थी। जिसके समक्ष अध्यापक भर्ती बोर्ड से वर्ष 2014 में चयन सूची प्राप्त हुई थी। याचिका क्रमांक 346/2013 अन्तिम कुमारी बनाम हरियाणा सरकार मामलें में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.4.2015 की पालना में कर्मचारी चयन आयोग से वर्ष 2015 में भी विज्ञापन क्रमांक 02/2012 के समक्ष कैटेगरी न0 1 व 2 के तहत द्वितीय चयन सूची प्राप्त हुई थी। इस सूची में बोर्ड ने द्वितीय सूची के उम्मीदवारो की मेरिट को प्रथम सूची के उम्मीदवारो की मेरिट के बीच में फिक्स किया है अर्थात (उदाहरण के तौर पर 1–A, 1-B, 2-A, 2-B, 2-C) LPA No. 686/2016 Pardeep Kumar Vs. State of Haryana & other connected cases में माननीय उच्च न्यायालय के अन्त्रिम आदेश दिनांक 20.4.2017 की पालना में पत्र दिनांक 27.4.2017 के तहत आपको उक्त दोनो सूचियों मे से वर्ष 2014 की सूची के उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे।

अब इस मामले की सुनवाई उपरान्त दिनांक 8.5.2017 को माननीय उच्च न्यायालय ने अन्त्रिम आदेश दिए है कि विभाग द्वारा दोनो सूचियों को संयुक्त रूप से तैयार किया जाए तथा इस संयुक्त सूची के आधार पर कोर्ट के आदेशानुसार विज्ञापित पदों से अधिक नियुक्तियां प्रदान नही की जाए।

विभाग द्वारा संयुक्त सूची तैयार कर ली गई है। जिसका अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि LPA No. 686/2016 Pardeep Kumar & others Vs. State of Haryana & others मे पारित माननीय उच्च न्यायालय के अन्त्रिम आदेश दिनांक 20.4.2017 की पालना में निदेशालय के आदेश पत्र दिनांक 27.4.2017 के तहत दिये गये दिशा

क्रमशः:-

निर्देशानुसार आपके द्वारा प्रथम सूची के जिन उम्मीदवारों को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारीयों के कार्यालयों मे कार्यग्रहण करवाया गया है, ऐसे उम्मीदवारों मे से संयुक्त सूची बनने के पश्चात बहुत से lower merit के उम्मीदवार भी विज्ञापित पदो से अधिक चयनित होकर कार्यग्रहण कर गये हैं(सूची संलग्न)।

ऐसे lower merit में आए हुए उम्मीदवारों को नोटिस जारी करते हुए उनकी नियुक्ति को दिनांक 6.6.2017 तक समाप्त करने की प्रकिया शुरू की जाए। क्योकि ये उम्मीदवार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नियुक्ति के पात्र नही बनते है। सभी सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने-2 जिले से संबंधित ऐसे उम्मीदवारो को नोटिस जारी करे कि क्यो न आपकी नियुक्ति को रद कर दिया जाए। इस संबंध में सभी उम्मीदवारों से उनका जवाब दिनांक 9.6.2017 से पहले संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यदि निर्धारित अवधि में इन उम्मीदवारों से कोई जवाब/उतर प्राप्त नही होता तो ऐसी स्थिति में यह समझा जाएगा कि उनके पास उनकी नियुक्ति को रद किए जाने के संबंध में कहने के लिए कोई तथ्य/plea नही है।

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारीयों को निर्देश दिए जाते है कि इस संबंध में वे अपने-2 कार्यालयो में नोटिस बोर्ड पर नोटिस चस्पा करेगे, जो उम्मीदवारो को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अतः विज्ञापित पदो से अधिक कार्यग्रहण कर चुके उम्मीदवारों को उपरोक्तानुसार सेवा से मुक्त करने की कार्यवाही तुरन्त शुरू की जाए। Lower merit के उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र को रद्द करने उपरान्त उनके स्थान पर मैरिट वाईज दूसरी सूची के उम्मीदवारों को कार्यग्रहण करवाया जाएगा। संयुक्त मैरिट सूची के आधार पर दूसरी सूची के उम्मीदवारों की सूची आपको lower merit के उम्मीदवारों का नियुक्ति पत्र रद्द करने उपरान्त निदेशालय में अनुपालना रिपोर्ट भेजते ही शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी। यहां पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिये जाते हैं कि lower merit के उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र रद्द होने उपरान्त ही दूसरी सूची के उम्मीदवारों को उनके स्थान पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। उपरोक्त आदेशों की दृढता से पालना करके अनुपालना रिपोर्ट निदेशालय में ई-मेल के माध्यम से edupryet2@gmail.com पर भेजी जाए।

संलग्नः- विज्ञापित पदो से अधिक lower merit के उम्मीदवारों की सूची।

6/6/17

संयुक्त निदेशक
कृते0 निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा
पंचकूला।

D:\Rajiv Rana\vijayy letters.docx